

समसामयिक सृजन

साहित्य, शिक्षा और संस्कृति का संगम

संरक्षक

डॉ. प्रभात कुमार

प्रधान संपादक

प्रो. रमा

संपादक

डॉ. महेन्द्र प्रजापति

संपादन सहयोग

रीमा प्रजापति

ले-आउट

स्कोप सर्विसेज, दरियागंज, नई दिल्ली

संपादकीय कार्यालय

मकान नं. 189, ब्लॉक-एच

विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

पत्राचार

एफ-114, तृतीय तल, SLF वेद विहार,

नियर: शंकर विहार ऑटो स्टैंड, लोनी

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102

सदस्यता

आजीवन : 5000/-रुपए

संपर्क : 9871907081

वेबसाइट : www.samsamyiksrijan.com

E-mail : samsamyik.srijan@gmail.com

प्रकाशक एवं मुद्रण

हरिन्द्र तिवारी

हंस प्रकाशन, दिल्ली

मो. : 7217610640, 9868561340

ईमेल : hansprakshan88@gmail.com

वेबसाइट : www.hansprakashan.com

विभाजन की त्रासदी और मंटो

7

विजय पालीवाल

प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अजीत कुमार बोहत

स्त्री अस्मिता संघर्ष और राजकमल चौधरी का हिंदी कथा साहित्य

अजीत सिंह

आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इतिहास-दृष्टि

डॉ. अमित सिन्हा

मध्यवर्गीय जीवन और चन्द्रकिरण सौनरेक्सा का कहानी संग्रह 'आधा कमरा'

अनिता देवी

छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में जल संसाधन की भूमिका

डॉ. श्रीमती अनीता मेथ्राम

राहुल सांकृत्यायन का यात्रावृत्त साहित्य में वर्णित धार्मिक पक्ष

अरुण माधीवाल

सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के पक्षधर : सुब्रह्मण्य भारतीय

डॉ. के. बालराजू

नेतृत्व और सम्प्रेषण का यथार्थ

डॉ. कुमार भास्कर

नयी कविता और कुँवर नारायण

भावना

आधुनिक दिल्ली हिंदी रंगमंच का स्वरूप

डॉ. धर्मेन्द्र प्रताप सिंह

स्त्री अस्मिता का मिथक

गजेन्द्र पाठक

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत-नेपाल संबंध

डॉ. गौरव कुमार शर्मा

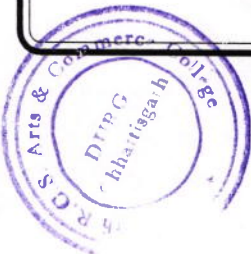
रत्नकुमार सांभरिया की कहानियों में दलित का सामाजिक-बोध

गौतम कुमार खटीक

भारत में राजनीतिक विकास एवं संविधान संशोधन : एक विश्लेषण

गोविन्द नैनीवाल

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक तथा स्वत्वधिकारी : डॉ. महेन्द्र प्रजापति द्वारा एच-ब्लॉक, मकान नं. 189, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 से प्रकाशित



Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm
College Durg (C.G.)

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
Durg (C.G.)

निबलेट की डायरी:अंग्रेजी प्रशासक की दृष्टि में भारत छोड़ो आन्दोलन	361	'वैश्वीकरण और मीडिया'	399
डॉ. कुलभूषण मौर्य		सोनू रजक	
देशज आधुनिकता बोध के कवि त्रिलोचन	364	प्रेमचन्द की कहानियों में हाशिए का समाज : स्त्री संदर्भ	402
माधवम सिंह		सुनीता जाट	
'देहान्तर' नाटक की मूल संवेदना	367	ऋतुराज के काव्य में युवा मानसिकता का सामाजिक संदर्भ	404
ममता यादव		सुरेश कुमार वर्मा	
अस्तित्व को तलाशती शिवमूर्ति की कहानी 'कुच्ची का कानून'	369	नीति-निर्माण एवं नीति को क्रियान्वयन करने में नौकरशाही की भूमिका एक समीक्षा	406
मनीष कुमार		सूर्य प्रकाश/प्रो. (डॉ. विनय सोरेन)	
मेहरुन्निसा परवेज की कहानियों में नारी अस्मिता की खोज	371	भक्ति साहित्य के अन्य प्रश्न और देवीशंकर अवस्थी	409
नगीना मेहरा		विजय कुमार गुप्ता	
आदिवासी साहित्य में राजनैतिक चेतना के स्वर	373	भारत की आजादी में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित संपादकीय का अध्ययन	412
निर्मला मीना/डॉ. अशोक कुमार मीना		बिमलेश कुमार	
नारी का अन्तः संघर्ष और महादेवी वर्मा	375	प्रेमचंद का दलित दस्तक	414
पूनम शर्मा/डॉ. अरुण बाला		डॉ. जियाउर रहमान जाफरी	
बिहार के विकास में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने के विभिन्न आयाम का एक अध्ययन	377	आयुर्वेद शिक्षण व्यवस्था:औपनिवेशिक संयुक्त प्रांत निवेशिक संयुक्त प्रांत (1900ई.-1941ई.)	416
प्रो. (डॉ.) महबूब आलम		पूजा/डॉ. सतीश चंद्र सिंह	
इक्कीसवीं सदी की हिंदी कविता के काव्य-प्रतिमान	380	छत्तीसगढ़ राज्य में कोर-पीडीएस के प्रभाव का एक प्रशासनिक अध्ययन	419
प्रो. रसाल सिंह/प्रभाकर कुमार		(धमतरी जिले के विशेष संदर्भ में)	
भारत में न्यायिक सक्रियता एवं जनहितवाद के वर्तमान स्वरूप की विवेचना	383	डॉ. श्रीमती रीना मजूमदार/डॉ. प्रमोद यादव/बिसनाथ कुमार	
डॉ. राजेश कुमार शर्मा/डॉ. संगीता शर्मा			
उपलब्ध प्रारूपों से परे सामाजिक सिद्धांत: एक विमर्श	386		
संदीप कुमार			
राष्ट्रोन्नयन की वैदिक संकल्पना	389		
संगीता अग्रवाल			
औद्योगीकरण के दुष्प्रभाव और आदिवासी केन्द्रित हिन्दी उपन्यास	391		
डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय			
19 वीं सदी का आंदोलन और हिन्दी कहानी	394		
डॉ. सविता डहेरिया			
स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में स्त्री-विमर्श	396		
डॉ. उमेश चन्द्र			

छत्तीसगढ़ राज्य में कोर-पीडीएस के प्रभाव का एक प्रशासनिक अध्ययन (धमतरी जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. श्रीमती रीना मजूमदार/डॉ. प्रमोद यादव/बिसनाथ कुमार

प्रस्तुत शोध पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में कोर-पीडीएस के प्रभाव का प्रशासनिक अध्ययन का विश्लेषण किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक जनोन्मुखी एवं पारदर्शिता बनाये रखने के लिए कई कदम उठाये हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोर-पीडीएस एक अच्छी व्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है। प्रदेश सरकार बीपीएल कार्डधारियों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराकर पूरे देश में बेहतर पीडीएस योजना के संचालन के लिए जाने जाती है। अब इसके बेहतर संचालन में एक और कड़ी जुड़ गई है जिसे "कोर-पीडीएस मेरी मर्जी" योजना नाम दिया गया है। कोर-पीडीएस व्यवस्था के तहत अब राशन कार्डधारी अपनी नजदीक की किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन का उठाव अपनी मर्जी से कर सकता है। सामान्य तौर पर यह देखा जा रहा था कि राशन दुकान बंद होने या किसी और परेशानी खड़ी होने से राशन दुकान के हितग्राही राशन लेने के लिए काफी मशक्कत करते थे वहीं लम्बी लाईन में लगकर भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में प्रदेश सरकार ने "मेरी मर्जी मेरा पीडीएस" योजना शुरू कर राशनकार्डधारियों को राहत देने की पहल शुरू की है।

महत्वपूर्ण शब्द—कोर-पीडीएस, राशन कार्ड, हितग्राही, उचित मूल्य दुकान, खाद्यान्न सामग्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आबंटन, उठाव, मूल दुकान

प्रस्तावना—छत्तीसगढ़ में यह योजना शहरी क्षेत्रों में मार्च, 2012 से लागू किया गया है जिसमें अगस्त, 2021 तक जिले के 42 कोर-पीडीएस की दुकानें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन संचालित हैं। इन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में

जिले के 34,258 राशन कार्डधारी लाभान्वित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन पूरे राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में किये जाने की तैयारी है। अब इस व्यवस्था से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थान्तरित होकर रहने गये हितग्राहियों को अपने मूल पीडीएस दुकान पर जाकर राशन लेने की जरूरत नहीं है बल्कि वह हितग्राही अपनी पसंद के किसी भी पीडीएस दुकान से अपना राशन खरीद सकता है। कोर-पीडीएस योजना लागू होने के पूर्व हितग्राही किसी एक उचित मूल्य दुकान से संलग्न था तथा हितग्राही उसी उचित मूल्य दुकान से ही राशन सामग्री लेने हेतु बाध्य था इस कारण हितग्राही को पात्रतानुसार राशन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अन्य कोई विकल्प नहीं था। उचित मूल्य दुकान संचालक को दुकान से संलग्न हितग्राहियों को खोने का भय नहीं रहता था जिससे दुकान संचालक अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता नहीं समझता था। पूर्व प्रक्रिया में उचित मूल्य दुकान को संलग्न राशनकार्ड अनुसार प्रत्येक माह मासिक आबंटन दिया जाता था और दुकान संचालक द्वारा संलग्न राशनकार्डों पर राशन सामग्री वितरण की जाती थी इससे लाभार्थियों को एक ही उचित मूल्य दुकान पर आश्रित रहना पड़ता था। कोर-पीडीएस की दुकानों में हितग्राही के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हेतु उसके पास कोई आवश्यक साधन नहीं होने के बावजूद भी उस हितग्राही को अपनी मूल दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की व्यवस्था यथावत उपलब्ध रहेगी। अन्य उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा केवल उन हितग्राहियों के लिए होगी जिनके पहचान का प्रमाणीकरण अन्य उचित मूल्य दुकानों पर किया जा सकेगा।

शोध अध्ययन का उद्देश्य—प्रस्तुत शोध के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।

1 कोर-पीडीएस व्यवस्था से हितग्राही संतुष्ट हो रहे हैं अथवा नहीं, यह ज्ञात करना।

2 कोर-पीडीएस की तकनीकी दृष्टि से आंकलन किया जाना है।

3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोर-पीडीएस एक बेहतर विकल्प है, यह ज्ञात करना।

प्रस्तावित शोध की परिकल्पना—प्रस्तुत शोध के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्धारित किए गए हैं।

1. कोर-पीडीएस व्यवस्था से हितग्राही संतुष्ट हो रहे हैं।

2. कोर-पीडीएस में तकनीकी दृष्टि से समस्या है।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोर-पीडीएस व्यवस्था एक बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है।

अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय—छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में स्थित राज्य के जीवन-रेखा कहलाने वाली महानदी का उद्गम स्थल धमतरी जिला अविभाजित मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के पुनर्गठन के फलस्वरूप 6 जुलाई, 1998 को अस्तित्व में आया। धमतरी जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4081.93 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 2125.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनाच्छादित हैं। यह जिला राज्य के 6 जिलों दुर्ग, बालोद, रायपुर, कोण्डागोव, कांकेर एवं गरियाबंद तथा ओडिसा राज्य की सीमा से लगा है। भौगोलिक दृष्टि से यह जिला धमतरी-महासमुंद के उच्च भूमि क्षेत्र में विस्तृत है। जिले की भौगोलिक स्थिति 20°2' से 21°1' उत्तरी अक्षांश एवं 81°23' से 82°10' पूर्वी देशांतर के मध्य है। धमतरी



जिला एक शुष्क आद्र मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। जिले की औसत वर्षा 1356.00 मिलीमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में साक्षरता दर 71.04% एवं जिले का जनसंख्या घनत्व 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले

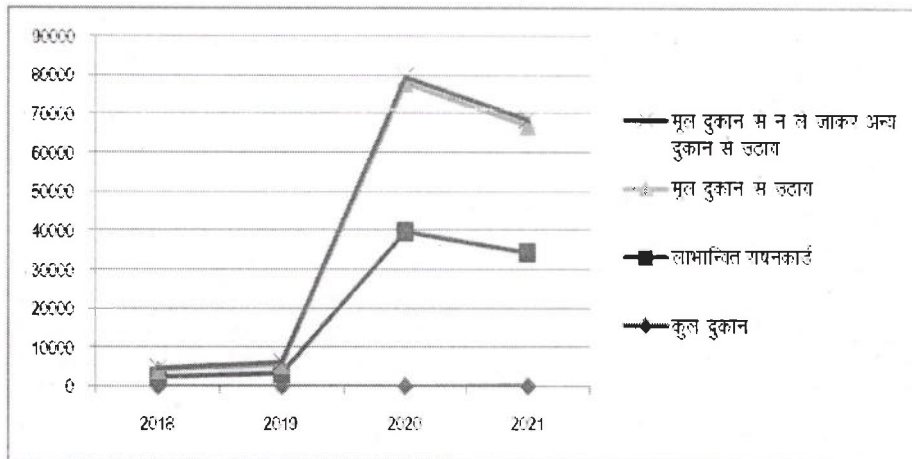
में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 1010 स्त्रियों हैं। धमतरी जिले में मिट्टीयों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है जिनमें कन्हार, डोरसा व मटासी मिट्टी है। यहाँ प्रमुख सिंचाई परियोजना के रूप में रविशंकर जलाशय, सोंदूर परियोजना, मॉडम सिल्ली

जलाशय एवं रूद्री बैराज है। धमतरी जिले में प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में माँ विंध्यवासिनी मंदिर धमतरी, माँ अंगारमोती मंदिर गंगरेल बांध, कर्णेश्वर मंदिर सिहावा नगरी, गट्टासिली, एवं सीतानदी वन अभ्यारण्य हैं।

धमतरी जिले में कोर-पीडीएस की जानकारी :-

क्र.	वर्ष	कोर-पीडीएस दुकान	लाभान्वित राशन कार्ड	मूल दुकान से ले जाने वाले हितग्राहियों की संख्या	मूल दुकान से न ले जाकर अन्य दुकान से उठाव करने वाले हितग्राहियों की संख्या
1.	2018	27	2,238	2,002	236
2.	2019	27	3,045	2,253	492
3.	2020	32	39,744	38,288	1,456
4.	2021 (अगस्त)	42	34,258	32,724	1,534

स्रोत:-www.khadya.cg.nic.in



उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2018 में धमतरी जिले में कुल कोर-पीडीएस दुकान 27, लाभान्वित राशनकार्ड 2,238, मूल दुकान से ले जाने वाले हितग्राहियों की संख्या 2,002 एवं मूल दुकान से न ले जाकर अन्य दुकान से उठाव करने वाले हितग्राहियों की संख्या 236 हैं। वर्ष 2019 में धमतरी जिले में कुल कोर-पीडीएस दुकान 27, लाभान्वित राशनकार्ड 3,045, मूल दुकान से ले जाने वाले हितग्राहियों की संख्या 2,253 एवं मूल दुकान से न ले जाकर अन्य दुकान से उठाव करने वाले हितग्राहियों की संख्या 492 हैं। वर्ष 2020 में धमतरी जिले में कुल कोर-पीडीएस दुकान 32, लाभान्वित

राशनकार्ड 39,744, मूल दुकान से ले जाने वाले हितग्राहियों की संख्या 38,288 एवं मूल दुकान से न ले जाकर अन्य दुकान से उठाव करने वाले हितग्राहियों की संख्या 1,456 हैं। वर्ष 2021 (अगस्त तक) में धमतरी जिले में कुल कोर-पीडीएस दुकान 42, लाभान्वित राशनकार्ड 34,258 मूल दुकान से ले जाने वाले हितग्राहियों की संख्या 32,724 एवं मूल दुकान से न ले जाकर अन्य दुकान से उठाव करने वाले हितग्राहियों की संख्या 1,534 हैं। वर्ष 2018 से 2020 के मध्य धमतरी जिले में कोर-पीडीएस दुकानों की संख्या, लाभान्वित राशनकार्ड, मूल दुकान से ले जाने वाले हितग्राहियों की संख्या एवं मूल दुकान से न ले जाकर अन्य

दुकान से उठाव करने वाले हितग्राहियों की संख्या में कमी या वृद्धि को देखा जाए तो कोर-पीडीएस दुकानों में 15 दुकानों की वृद्धि हुई है। लाभान्वित राशनकार्ड में 32,020 की वृद्धि हुई, मूल दुकान से ले जाने वाले हितग्राहियों की संख्या 30,722 की वृद्धि हुई तो वहीं मूल दुकान से न ले जाकर अन्य दुकान से उठाव करने वाले हितग्राहियों की संख्या में 1,298 की वृद्धि हुई है।

अध्ययन पद्धतियाँ—प्रस्तावित शोध की अध्ययन पद्धतियों को निम्नांकित भागों में विभक्त किया गया है :-

1. प्राथमिक स्रोत
2. द्वितीयक स्रोत



प्राथमिक स्रोत—प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत प्रश्नावली तैयार करना, उत्तरदाताओं का साक्षात्कार करना, सेम्पलिंग करना, उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के माध्यम से संबंधित शोध की जानकारी प्राप्त कर अवलोकन व सर्वेक्षण के आधार पर विश्लेषण किया गया है जिसमें प्रस्तुत शोध पद्धति के अध्ययन क्षेत्र धमतरी जिले के चारों विकासखण्डों कुरुद, धमतरी, मगरलोड, नगरी से 30-30 उत्तरदाताओं का चयन कर कुल 120 उत्तरदाताओं का अभिमत प्राप्त किया गया है।

(अ) निदर्शन संरचना—निदर्शन किसी भी सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशीला होती है। किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को यह करना आवश्यक होता है कि वह समूह के सभी सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करके अनुसंधान से संबंधित तथ्यों का संकलन अथवा उनमें से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उसका अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध सेम्पलिंग एवं रैंडम सेम्पलिंग विधि द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध में क्षेत्र से अनुसंधान संबंधी आँकड़ों को दो प्रकार से एकत्रित किये गये हैं :-

- (1) गणना विधि द्वारा
- (2) निदर्शन विधि द्वारा

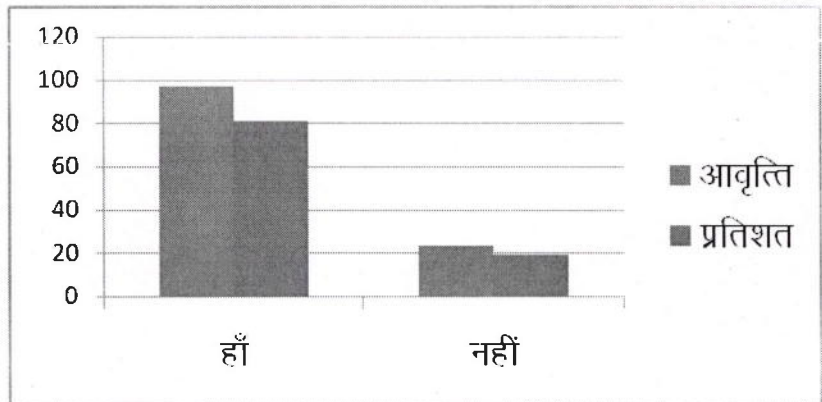
इस प्रकार प्रस्तुत शोध में गणना विधि द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित क्षेत्र तथा उनके सभी इकाईयों का अध्ययन किया गया है। निदर्शन में समग्र में से अध्ययन क्षेत्र के कुछ इकाईयों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया गया और अध्ययन विषय के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई है।

संशोधित अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र धमतरी जिले के चारों विकासखण्डों कुरुद, धमतरी, मगरलोड, नगरी के विभिन्न वर्ग से संबंधित व्यक्तियों का चुनाव बहुस्तरीय निदर्शन के द्वारा किया गया है। नगरीय निकाय के व्यक्तियों का चुनाव उद्देश्यपूर्ण एवं उन्हीं में से अध्ययन हेतु चुनी गई उत्तरदाताओं का चुनाव दैव निदर्शन के द्वारा किया गया है।

क्र.	चयनित उत्तरदाता (नगरीय निकाय)	कुल
1.	कुरुद	30
2.	धमतरी	30
3.	मगरलोड	30
4.	नगरी	30

प्रश्न 1: क्या आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित कोर-पीडीएस "मेरी मर्जी मेरी योजना" से संतुष्ट हैं ?

क्र.	संतुष्ट	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	97	81
2.	नहीं	23	19
	कुल	120	100

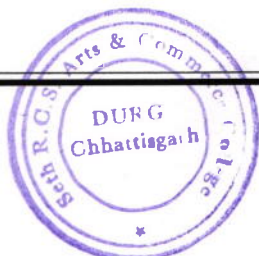
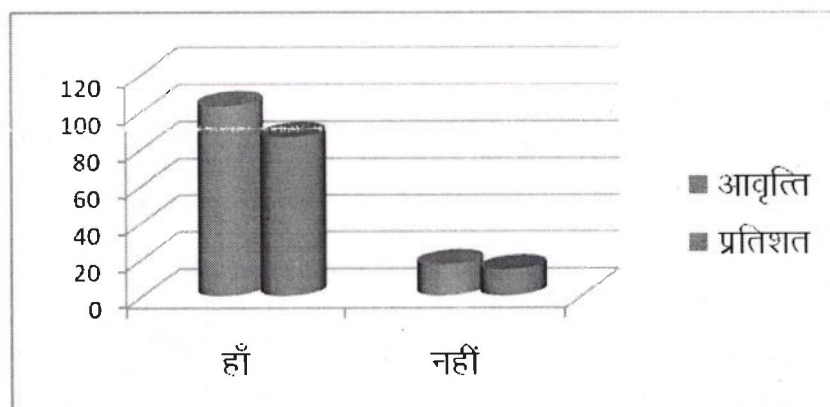


तालिका 1. के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययनगत 81 प्रतिशत उत्तरदाता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित कोर-पीडीएस व्यवस्था से संतुष्ट हैं जबकि 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। अध्ययन क्षेत्र के जिन उत्तरदाताओं ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त की है उनका कहना है कि कोर-पीडीएस में

कभी-कभी तकनीकी समस्या आ जाती है। जैसे- सर्वर बाधित होना, सामग्री का स्टॉक खत्म हो जाना व राशन खरीदने में अधिक समय का लगना, जिन उत्तरदाताओं ने कोर-पीडीएस व्यवस्था में अपने संतुष्टि व्यक्त की उनसे उसके सहमत होने की प्रवृत्ति को भी ज्ञात किया गया है।

प्रश्न 2. क्या आप उपभोक्ता अधिकारों के सम्बन्ध में राशन कार्ड में दर्शित निःशुल्क कॉल सेंटर नम्बर 1800-233-3663 अथवा 1967 में उपलब्ध शिकायत व्यवस्था से संतुष्ट हैं?

क्र.	संतुष्ट	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	103	86
2.	नहीं	17	14
	कुल	120	100



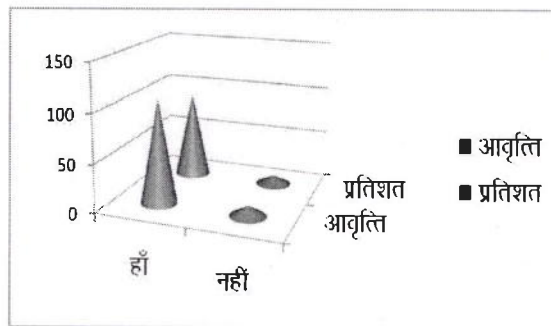
तालिका 2. के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययनगत 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उपभोक्ता अधिकारों के सम्बन्ध में राशनकार्ड में दर्शित निःशुल्क कॉल सेंटर की व्यवस्था से संतुष्ट है जबकि 14 प्रतिशत उत्तरदाता इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। अध्ययन

क्षेत्र के जिन उत्तरदाताओं ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है उनका कहना है कि यह एक अच्छी व्यवस्था है। उचित मूल्य दुकान के कोटेदार द्वारा हितग्राहियों के उपभोक्ता अधिकारों के हनन के सम्बन्ध में एक तात्कालिक

निवारक व्यवस्था है। असंतुष्टि व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं का कहना है कि उपभोक्ता अधिकार के सम्बन्ध में निःशुल्क कॉल सेंटर नम्बर अधिकांश समय कॉल नहीं लगता या लगता भी है तो कोई सकारात्मक जवाब प्राप्त नहीं होता

प्रश्न 3 : क्या आप कोर-पीडीएस व्यवस्था के माध्यम से किसी भी उचित मूल्य दुकान से पात्रता अनुसार प्रति माह नियमित रूप से राशन प्राप्त करते हैं ?

क्र.	संतुष्ट	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	109	91
2.	नहीं	11	9
	कुल	120	100



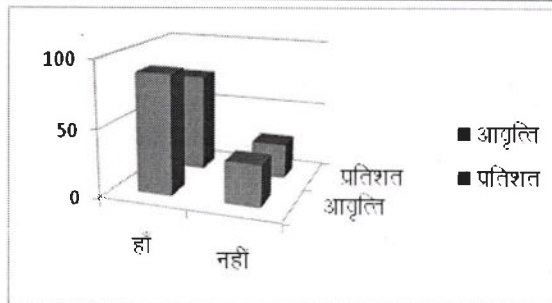
तालिका 3. के विश्लेषण स्पष्ट होता है कि अध्ययनगत 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोर-पीडीएस व्यवस्था से पात्रता अनुसार प्रति माह नियमित रूप से राशन प्राप्त करते हैं जबकि 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना

है कि प्रति माह नियमित रूप से राशन प्राप्त नहीं होते हैं। नियमित रूप से राशन प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का कहना है कि यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है इसमें

हितग्राही अपनी मूल दुकान के अतिरिक्त किसी भी उचित मूल्य दुकान में अपनी पात्रता की राशन मर्जी से खरीद सकता है। नियमित रूप से राशन प्राप्त न करने वाले हितग्राहियों के समस्याओं को भी ज्ञात किया गया है।

प्रश्न 4 : क्या कोर-पीडीएस उचित मूल्य दुकान जिला कलेक्टर द्वारा तय निर्धारित समय-सीमा में खुलता है?

क्र.	संतुष्ट	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	89	74
2.	नहीं	31	26
	कुल	120	100



तालिका 4. के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययनगत 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकान के जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित

समय सीमा में खूलने की बात को स्वीकार किया गया तो वही 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि उचित मूल्य दुकान निर्धारित समय में नहीं

खुलता है। दोनों पक्षों के विचारों को ज्ञात किया गया है।

प्रश्न 5 : क्या आप उचित मूल्य दुकान से प्राप्त होने वाली सामग्री की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं ?

क्र.	संतुष्ट	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	84	70
2.	नहीं	36	30
	कुल	120	100

तालिका 5. के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उचित मूल्य दुकान से प्राप्त होने वाले गुणवत्ता के सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र के 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है तो वही 30 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता हैं जिन्होंने सामग्री की गुणवत्ता पर असंतुष्टि व्यक्त की है। असंतुष्टि व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं का कहना था कि उचित मूल्य दुकान से प्राप्त होने वाली सामग्री खुले बाजार की तुलना में प्रायः निम्न कोटि का होता है। संतुष्टि व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं के विचारों को भी प्रस्तुत अध्ययन में विश्लेषण किया गया है।

सुझाव—सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित कोर-पीडीएस व्यवस्था के बेहतर संचालन हेतु सुझाव इसप्रकार है :-

1. ग्रामीण हितग्राहियों को इस व्यवस्था से जोड़ने के लिये कोर-पीडीएस को ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए।

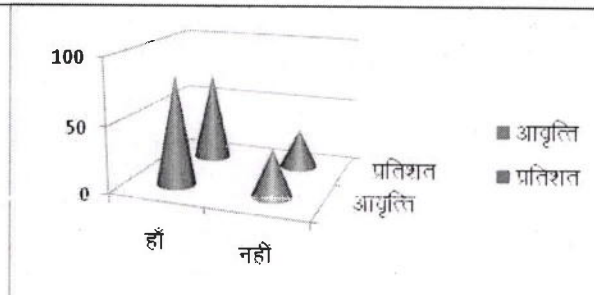
2. उचित मूल्य दुकान में राशन सामग्री की उपलब्धता बनाये रखने के लिए मासिक आंबटन के अलावा अतिरिक्त खाद्यान आंबटन भी किया जाना चाहिए ताकि सभी हितग्राही को नियमित रूप से राशन मिलता रहे।

3. ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए क्योंकि यह एक कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था है बिना इंटरनेट के यह व्यवस्था कार्य नहीं कर सकता।

4. कोर-पीडीएस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

5. उचित मूल्य दुकानदारों को इस व्यवस्था के बेहतर संचालन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाये जिससे वे अपने कार्य को भली-भाँति कर सकें।

6. कोर-पीडीएस सॉफ्टवेयर को समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए जिससे राशन वितरण में कोई तकनीकी समस्या न आये।



निष्कर्ष — उपर्युक्त अध्ययन के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित कोर-पीडीएस “मेरी मर्जी मेरी योजना” से संतुष्ट, उपभोक्ता अधिकार, नियमित सामग्री की पात्रता, गुणवत्ता, व उचित मूल्य दुकान के तहत निर्धारित समय पर खुलने से सम्बन्धित जो मत व्यक्त किये उनमें औसतन 80 प्रतिशत उत्तरदाता इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि कोर-पीडीएस व्यवस्था में अभी भी कुछ खामियाँ हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ज्यादातर रिसाव एवं व्यपवर्तन की समस्या होती थी जिससे हितग्राहियों को राशन समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता था। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोर-पीडीएस “मेरी मर्जी मेरी योजना” व्यवस्था से इन समस्याओं पर नियंत्रण पा लिया गया है। पहले हितग्राही को उसी उचित मूल्य दुकान से राशन खरीदना पड़ता था जहाँ से उनका राशन कार्ड बनाया गया था। अब कोर-पीडीएस पोर्टेबिलिटी के माध्यम से हितग्राही किसी भी उचित मूल्य दुकान में जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकता है जिससे हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में सुविधा तो मिलेगी इसके अलावा उचित मूल्य दुकान में हितग्राहियों से अधिक पैसा लेना, दुर्व्यवहार करना, राशन प्राप्त हेतु लंबी लाईनों में लगना ये सभी समस्याएँ इस व्यवस्था के माध्यम से समाप्त हो गई हैं। निश्चय ही कोर-पीडीएस राज्य सरकार द्वारा संचालित एक बेहतर व्यवस्था है। इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता

आयी एवं हितग्राही इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं।

संदर्भ —

- छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कोर-पीडीएस प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग दस्तावेज संस्करण 2.2 पृ. सं.- 4
- छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग वर्ष 2015-16, प्रशासकीय प्रतिवेदन पृ. सं.- 20
- छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वर्ष 2020-21, प्रशासकीय प्रतिवेदन पृ. सं.- 13
- छत्तीसगढ़ राजपत्र 1 सितम्बर, 2016 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर पृ. सं. -5
- छत्तीसगढ़ राजपत्र, 17 मई, 2016 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर पृ. सं. - 3
- छत्तीसगढ़ राजपत्र, 23 जनवरी, 2017 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर पृ. सं. - 8
- धमतरी जिला सांख्यिकी पुस्तिका, 2019-20 पृ. सं.- 2
- जनभागीदारी वेबसाईट
- www.khadya.cg.nic.in

प्राचार्य

मोहन लाल जैन शासकीय महाविद्यालय
खुर्सीपार, भिलाई (छ.ग.)
विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग एस.आर.सी.एस
कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)
राजनीति विज्ञान
एस.आर.सी.एस
कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

□□

